न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1062 सन 2026
CNR. No.UPSP010032452026

नासिर पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला, निवासी मौहल्ला बैरून कोटला कस्बा व थाना, देवबन्द, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 174/2026
धारा 109(1) बी0एन0एस0
व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

24.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **नासिर** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमति रूकसार पत्नि नासिर का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.03.2026 को उ0नि0 अजब सिंह मय अन्य हमराहीयान थाना से रवाना होकर दौरान देख रेख मकबरा गांव की ओर से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्तियों को रूकने का इशारा करने पर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें पुलिस बल बाल–बाल बचा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम फायर किया गया तथा बदमाशों की तरफ से एक बदमाश ने कहा कि उसके पैर में गोली लग गयी है, और एक बदमाश खेत का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। घायल बदमाश के पास जाकर देखा तो उसकी दाहिनी टांग से खून बह रहा था। इस पर पुलिस द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बदमाश की टांग में खून निकलने वाले स्थान पर कपडा बांधा गया। उपरोक्त बदमाश का नाम व पता पूछते हुए, जामा तलाश ली गयी तो उसने अपना नाम नासिर पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला बताया तथा इसकी तलाशी में एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। दूसरे बदमाश ने अपना नाम प्रगट पुत्र सतपाल बताया तथा इसकी जामा तलाशी से एक अदद तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। मौके से फरार बदमाश का नाम पप्पन बताया। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। मौके से बरामद तमंचा, कारतूस एवं मोटरसाईकिल को सील सर्वे मोहर कर फर्द तैयार की गयी तथा उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैं और उसे मुकदमा उपरोक्त में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। पुलिस द्वारा प्रार्थी का झूठा चालान किया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुई हैं, कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। प्रार्थी पूर्व सजायाफता नही है। प्रार्थी दिनांक 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं उपरोक्त घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद होने का आक्षेप है। केस डायरी पर उपलब्ध फर्द बरामदगी के अनुसार पुलिस द्वारा मौके पर आवेदक/अभियुक्त गिरफतार किया जाना तथा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त बरामदगी होना अभिकथित है, परन्तु आवेदक/अभियुक्त की कथित प्रकार से गिरफतारी एवं उसके कब्जे से कथित बरामदगी का कोई कोई स्वतन्त्र साक्षी होना दर्शित नही है। केस डायरी के अवलोकन से कथित घटना में किसी भी पुलिस कर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना दर्शित नही है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना अभिकथित नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.03.2026 से जेल में है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य मुकदमों में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत पर होने का कथन किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **नासिर** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–24.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891